

65

पत्र संख्या-सं0का10-2 / रथा0-01-06 / 2020-...../

विहार सरकार  
संसदीय कार्य विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,  
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रभारी सचिव,  
विहार विधान सभा, पटना।  
कार्यकारी सचिव,  
विहार विधान परिषद, पटना।

पटना, दिनांक- 2023

**विषय :** विहार विधान परिषद/सभा के अन्तर्गत राज्य सरकार के समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के चल-अचल सम्पत्ति एवं दायित्वों की विवरणी बेवसाईट पर अपलोड करते हुए सम्पत्ति एवं दायित्वों की विवरणी एवं विहित प्रपत्र में सूची (पंजीयन पत्र) सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने के संबंध में।

**प्रसंग :** विहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी का पत्रांक-3309 दिनांक 23.12.2022 एवं पत्रांक-22913 दिनांक-20.12.2022

महाशय

निदेशनुसार उपर्युक्त विधायक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के चल-अचल सम्पत्ति एवं दायित्वों की विवरणी बेवसाईट पर अपलोड करने का निदेश संसूचित किया गया है। राज्य सरकार के दायित्वों की विवरणी बेवसाईट पर अपलोड करने का निदेश संसूचित किया गया है। राज्य सरकार के साथ कुछ पदाधिकारियों एवं कर्मचारी, नन्त्री/राज्य नन्त्री/उपनन्त्री की सुविधा प्राप्त गहनभावों के साथ आप सचिव एवं निजी सहायक के रूप में पदस्थापित हैं, जिनका वेतन भुगतान विहार विधान परिषद/सभा के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जाता है।

अतः सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में उनके चल-अचल सम्पत्ति एवं दायित्वों की विवरणी बेवसाईट पर सामन्य अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए इसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। सुलभ प्रसंग हेतु प्रसंगाधीन पत्र की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुलग्नक-यथोपरि।

विश्वासभाजन

इ0/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- सं0का10-2 / रथा0-01-06 / 2020- 06 / पटना, दिनांक- 05.01.2023

प्रतिलिपि-सामान्य प्रशासन विभाग, विहार, पटना, आई टी. प्रबंधक, संसदीय कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, रांसीय कार्य विभाग, विहार विधान परिषद/विधान सभा से सम्पर्क कर बेवसाईट पर याचित विवरणी अपलोड करने एवं पंजीयन पत्र गिजावाना सुनिश्चित करेंगे।

अपर मुख्य सचिव।

(B4)

पत्रांक—BPSMS / ASSET -01 / 2020 सो. ३३०९  
**विहार प्रशासनिक भुद्धार मिशन सोसाइटी**  
**(शामान्य प्रशासन विभाग)**

प्रेषक,

डॉ० बी. राजेन्द्र,  
 प्रधान सचिव—सह—मिशन निदेशक

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्राइन सचिव/सचिव  
 सभी विभागाध्यक्ष  
 सभी प्रमण्डलीय आयुक्त  
 सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक २३/१२/२०२२

**विषय—** दिनांक—३१.१२.२०२२ की रिपोर्ट पर आधारित चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी, २०२२ को वेबसाईट पर अपलोड किए जाने के संबंध में।


**प्रसंग—** शामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक—२२९१३ दिनांक—२०.१२.२०२२  
 महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र के अंत में कहना है कि अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारियों/राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत केन्द्रीय सिविल सेवा अथवा अन्य किसी सेवा के पदाधिकारियों तथा राज सरकार अधीन पदरथापित/सेवारत समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों एवं राज सरकार के सभी अधीनस्थ सभी उपकरणों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, परिवारियादि) के समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के पदाधिकारियों एवं कर्मियों से दिनांक—३१.१२.२०२२ की रिपोर्ट पर आधारित चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी, २०२२ को वेबसाईट पर अपलोड किए जाने का कार्य किया जाना है। विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर इस वर्ष इस कार्य को सम्मय सफलीभूत करने हेतु अभी से कार्य योजना बनाकर कार्य किए जाना आवश्यक है, जिसके लिए निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएः—

- पूर्व वर्ष की भावति इस वर्ष भी सभी विभागों/जिलों में इस कार्य हेतु एक कोषांग का गठन करते हुए किसी वरीय पदाधिकारी को इस का नांडल पदाधिकारी नामित किया जाए। जिलों के लिए अपर समाहर्ता पूर्ववत पदेन नोड। पदाधिकारी होंगे।
- ३१ मार्च २०२३ तक शत—प्रतिशत चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी को विहित प्रपत्र में वेबसाईट पर अपलोड किया जाना है। इसके लिए निम्न विवरणी के अनुसार कार्य सम्पादन की व्यवस्था की जाएः—

क्र.	कार्योजना	निर्धारित तिथि
1.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सूची विहित प्रपत्र में पंजीकृत करना	०५.०१.२०२३
2.	इस सूची को सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट करना	१०.०१.२०२३
3.	सूची के अनुरूप शत प्रतिशत कर्मियों के चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी विहित प्रपत्र में प्राप्त करना	१५.०२.२०२३
4.	समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की त्रुटिरहित विवरणी को शत प्रतिशत स्कैन हस्ताक्षरित C.D. D.V.D. की दो प्राप्ति एवं वा हेतु प्रगाण/वेक लिस्ट के साथ मिशन कार्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु उपलब्ध कराना	२०.०३.२०२३

3. समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सूची विहित प्रपत्र (संलग्न) में गत वर्ष की भाति निकासी एवं व्यःन पदाधिकारी वार प्राप्त कर उसे कम्प्यूटर में पंजीकृत कर लिया जाए।
  4. वैसे कार्यालय जो कोषागार से सम्बद्ध न हों है यथा—योर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्वद आदि के कर्मियों की सूची कार्यालय वार प्राप्त कर गत वर्ष की भाति कम्प्यूटर में पंजीकृत कर लिया जाए।
  5. पदाधिकारियों/कर्मियों की सूची को 05 जनवरी 2023 तक विहित प्रपत्र में पंजीकृत कर ली जाय एवं इस सूची को 10 जनवरी 2023 तक सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि का कार्य पूरा करा लिया जाए। इसमें यह ध्यान रखा जा कि शत-प्रतिशत समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के पदाधिकारियों/कर्मियों की सूची कोषांग में सम्मय प्राप्त हो जाए एवं त्रुटि रहित रूप में इसे कम्प्यूटर में विहित प्रपत्र में प्रविष्टि कर ली जाए।
  6. इसी प्रकार ऐसी प्रभावकारी व्यवस्था वा याँ जाए ताकि सभी पदाधिकारियों/कर्मियों की चल एवं अचल संपत्ति विवरणी विहित प्रपत्र में 15 फरवरी 2023 तक अचूक रूप से कोषांग को प्राप्त हो जाए।
  7. छैंकि जनवरी माह के प्रथम सप्ताह से तल एवं संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी कोषांग का प्राप्त होना शुरू हो जायेगा, अतः घोषांग में प्राप्त विवरणियों को प्रतिदिन स्कैन कर संबंधित पदाधिकारी/कर्मी के डाटा के रूप सम्बद्ध करने की व्यवस्था की जाए।
  8. प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय के सभी पदाधिकारियों/कर्मियों के चल एवं अचल संपत्ति एवं दायित्वों की विवरणी प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय जिस जिले में अवस्थित है, के जिला पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा।
  9. विभागों के लिए Scanning एवं Tagging का कार्य पूर्व वर्ष की भाति मिशन कार्यालय में गठित कोषांग के सहयोग से किया जायेगा।
  10. सभी जिलों को ADF स्कैनर मिशन वा निधि से पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसकी क्रियाशीलता की जांच करा ला जाए एवं यदि कोई त्रुटि हो तो उसका शीघ्र निवारण कर लिया जाए।
  11. जिन जिलों में आठ हजार से अधिक वर्षीयों का डाटा अपलोड किया जाना है, वहां एक अतिरिक्त ADF स्कैनर किराये पर लिया जा सकता है। कर्मियों की वडी संख्या को देखते हुए पटना जिले में चार ADF स्कैनर तक उपयोग किया जा सकता है।
  12. इसके अतिरिक्त गत वर्ष के अनुभव व आधार पर निम्न बिन्दुओं के अनुपालन हेतु भी निदेशित किया जा सकता है—
    - i. चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्व की विवरणी A4 Size सफेद रंग के कागज पर ही प्राप्त किया जाए।
    - ii. विवरणी कम्प्यूटर टकित हो तथा उत्तरितित एवं मैनुअल टाईप डाटा को स्वीकार नहीं किया जाए।
    - iii. विवरणी पृष्ठ के एक ही तरफ टकित हो ताकि डाटा स्कैनिंग में कठिनाई न हो।
    - iv. विवरणी के प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधित पदाधिकारी/कर्मी का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है तथा सभी कॉलम पूर्ण रूपेण भरे गए हो।
    - v. चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्व की विवरणी को 150 DPI पर स्कैन किया जाए ताकि वेबसाइट पर इसे अपलोड करने एवं देखने में कोई कठिनाई नहीं रहे।
- अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्रभाविकता के स्तर पर रखते हुए निदेश के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।
- अनु०:- यथोक्ता।

विश्वासनाजून  
  
 23.12.2022  
 डॉ० वी. राजेत् सिंह  
 प्रधान सचिव-सह-मिशन निदेशक

